भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये

(56)

निग - 855 - PBR - 16

न्यायालय राजस्व मंडल संभाग ग्वालियर (म० प्र०)

प्र०क्र०/ /निगरानी/2016

रतनसिंह यादव s/o
स्व० रामचरन सिंह निवासी
भितरवार - आवेदक

वनाम

गजराजसिंह s/o कमल सिंह
जाति किरार निवासी
भितरवार जि० ग्वालियर
(म०प्र०)
.... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि० 11-3-16 को
प्रस्तुत

11-3-16
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

WS
मुकेश भार्गव
11-3-16 एडवोकेट
ग्वालियर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 निगरानी म० प्र० भू० रा० सं० 1959 विरुद्ध प्र०क्र० 21/14-15/A6 आदेश दिनांक 14-12-2015 न्यायालय तहसीलदार महोदय भितरवार जिला ग्वालियर है:-

माननीय महोदय जी,

प्रार्थी आवेदक की निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर आधारित होकर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है! -

निगरानी के प्रमुख तथ्य:-

(1) पर 2 ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 855-पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 21/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दि. 14-12-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण की परिस्थितियों को समझा एवं गुणदोषपर बिना विचार किये आवेदक का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर समाप्त किये जाने का आदेश दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय दान के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि बिना साक्ष्य एवं सुनवाई के न्याय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती । उनके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त कर साक्ष्य का अवसर दिये जाने का निवेदन किया । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर देने के बाद ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है । आवेदक ने दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही पेश कर चुके है और क्या साक्ष्य पेश करना चाहते है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित अंतरिमआदेश दि.14-12-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	